न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 68/2014

वादीगण :-

1. रामकरण पुत्र उगराराम
2. कैलाश पुत्र उगराराम
3. छोटूराम पुत्र उगराराम के

कायम मुकामान :-

3/1 भंवरीदेवी पत्नि छोटूराम

3/2 मनोहर पुत्र छोटूराम

3/3 महेन्द्र पुत्र छोटूराम

3/4 संजु पुत्री छोटूराम

3/5 सुरेश पुत्र छोटूराम

3/6 पूजा पुत्री छोटूराम

ना0बा0 के कुदरती वलिया
माता भंवराई सभी जातियान-जाट,
निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बक्साराम पुत्र मांगीलाल
2. हापूराम पुत्र मांगीलाल
3. पांचाराम पुत्र मांगीलाल
4. रामदेव पुत्र मांगीलाल
5. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल
6. परमादेवी पुत्री मांगीलाल
7. सजनदेवी पुत्री मांगीलाल
8. चुकादेवी पत्नि मांगीलाल
9. हनुमानराम पुत्र रतनलाल
10. जीवनराम पुत्र रतनलाल
11. शांति पत्नि रामू
12. रूकमा पत्नि बुद्धा
13. पुष्पा पुत्री बुद्धा
    प्राकृतिक संरक्षक माता रूकमा
    पत्नि बुद्धा
14. कालू पुत्र उगरा
    समस्त जातियान - जाट
    निवासीगण - लाम्बिया
    तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
15. तहसीलदार, जैतारण
    तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07.03.2014**

उंपस्थित:. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 14/03/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 767 रकबा 6-07 बीघा, खसरा नम्बर 775 रकबा 13-05 बीघा, खसरा नम्बर 776 रकबा 36-06 बीघा, खसरा नम्बर 777 रकबा 14-12 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 2-12 बीघा, खसरा नम्बर 784 रकबा 2-01 बीघा, कुल किता-6 कुल रकबा 75-03 बीघा किस्म बा0आ0 की आई हुई हैं। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं, जो अपने बाप दादा से बोते आ रहे हैं, यह पुश्तैनी जमीन हैं। उक्त विवादित भूमि की मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया गया हैं। वादीगण की उम्र क्रमशः 16, 14, 12 वर्ष दिनांक 24/03/68 को थी। जब दाखिल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खारिज फर्द संख्या 338 सरपंच के द्वारा सत्यापित की गई। वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष आईदान (फौत) के पुत्रगण गोकल व उगराराम हुए। गोकल के पुत्रगण भंवरू व मांगू हुए तथा उगराराम के पुत्रगण रामू (फौत), कालू, रतन (फौत) बुद्धा (फौत), रामकरण, कैलाश एवं छोटू (फौत) हुए। छोटू (फौत) की पत्नि भंवराई व पुत्रगण मनोहर, महेन्द्र, सुरेश तथा पुत्रियाँ संजु, व पूजा हुई। वादीगण ने पटवारी से दिनांक 07/01/2014 को म्यूटेशन भरने के लिए कहां तो पटवारी ने उनके नाम रेवेन्यू रेकर्ड में नहीं होने की जानकारी दी। उक्त वर्णित वादीगण नंबर 3 के बच्चे नाबालिंग हैं। इसलिए माननीय न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादीगण ने अपने बाप दादा से उक्त कब्जा प्राप्त किया और वादग्रस्त कृषि आराजी पर लम्बे समय से खेती करते हैं। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद जो म्यूटेशन नम्बर 338 दिनांक 24/03/68 पटवारी ने भरा हैं, जो गलत हैं। वादीगण 1, 2 व 3 के पति उस समय नाबालिंग थे। वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने घोषणा का दावा पेश किया हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में मजामत बेजा पैदा न करें, इस हेतु उन्हें उनके वारिसान नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट आदि को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी के पाबन्द किया जावें व हमेशा के वास्ते रोका जावें। बिनायवाद दिनांक 07/01/2014 को पटवारी लाम्बिया ने वादीगण उसे उनके नाम रेकर्ड से नदारद होने का कहने पर ग्राम–लाम्बिया में उत्पन्न हुआ। जिसका क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक को बावजूद तामिली / सूचना बार–बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 20/05/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0–1 रामकरण एवं पी0डब्ल्यू0–2 बक्साराम का दिनांक 19/06/2014 को तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किया, सा0मि0 हो। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0–1 को दस्तावेजात Exp–1 जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 व 2016–19 प्रदर्श Exp–2 प्रदर्शित करवाये गये, सा0मि0 हैं। वकील वादीगण अन्य शहातद वादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत वादी दिनांक 14/03/2015 को बन्द की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने व्यक्त किया कि उक्त विवादित भूमि पैतृक व पुश्तैनी होने से वादीगण उक्त वाद डिक्री किये जाने के अधिकारी हैं। सम्वत् 2016–19 में खातेदार काश्तकार के रूप में वंशावली अनुसार उगराराम के बड़े भाई मात्र गोकल पुत्र आईदान का नाम ही दर्ज कर दिया जबकि वादीगण भी प्रतिवादीगण के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी होने से वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य वादी पी0डब्ल्यू0–1 एवं स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू0–2 बक्साराम के तस्दीक सुदा शपथ–पत्रों को गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य के शपथ–पत्रों से उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि होना बखूबी प्रमाणित हैं। लिहाजा वादी का वाद डिक्री किया जाना, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 767 रकबा 6–07 बीघा, खसरा नम्बर 775 रकबा 13–05 बीघा, खसरा नम्बर 776 रकबा 36–06 बीघा, खसरा नम्बर 777 रकबा 14–12 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 2–12 बीघा, खसरा नम्बर 784 रकबा 2–01 बीघा, कुल किता–6 कुल रकबा 75–03 बीघा किस्म बा0अ0 में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 9 से 14 तक के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। डिक्री की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को सरे ईजलास आयोजित लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम

1. रामकरण पुत्र उगराराम
2. कैलाश पुत्र उगराराम
3. छोटूराम पुत्र उगराराम के

कायम मुकामान :–

3/1 भंवरीदेवी पत्नि छोटूराम

3/2 मनोहर पुत्र छोटूराम

3/3 महेन्द्र पुत्र छोटूराम

3/4 संजु पुत्री छोटूराम

3/5 सुरेश पुत्र छोटूराम

3/6 पूजा पुत्री छोटूराम

ना0बा0 के कुदरती वलिया माता भंवराई सभी जातियान–जाट, निवासी–लाम्बिया तहसील–जैतारण

प्रतिवादीगण :–

1. बक्साराम पुत्र मांगीलाल
2. हापूराम पुत्र मांगीलाल
3. पांचाराम पुत्र मांगीलाल
4. रामदेव पुत्र मांगीलाल
5. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल
6. परमादेवी पुत्री मांगीलाल
7. सजनदेवी पुत्री मांगीलाल
8. चुकादेवी पत्नि मांगीलाल
9. हनुमानराम पुत्र रतनलाल
10. जीवनराम पुत्र रतनलाल
11. शांति पत्नि रामू
12. रूकमा पत्नि बुद्धा
13. पुष्पा पुत्री बुद्धा

प्राकृतिक संरक्षक माता रूकमा पत्नि बुद्धा

14. कालू पुत्र उगरा

समस्त जातियान – जाट निवासीगण – लाम्बिया तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

15. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:68/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री हरिओम· पारिक, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 767 रकबा 6–07 बीघा, खसरा नम्बर 775 रकबा 13–05 बीघा, खसरा नम्बर 776 रकबा 36–06 बीघा, खसरा नम्बर 777 रकबा 14–12 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 2–12 बीघा, खसरा नम्बर 784 रकबा 2–01 बीघा, कुल किता–6 कुल रकबा 75–03 बीघा किस्म बा0अ0 में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 9 से 14 तक के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोंका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर:–

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	10=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	15=00	मिजानः–	—Nil—

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner